

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल कटनी (म.प्र.)

क्रमांक/मा.चि./ 4092
प्रति,

TELEPHONE (O) 07622- 227417 (FAX) 07622-220700 PIN 483501, E-mail- dfotkatn@mp.gov.in

कटनी दिनांक 26/7/2021

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, कटनी
जिला कटनी

विषय : जिला कटनी के अंतर्गत सिंहुडी टेक परियोजना के निर्माण हेतु 7.45 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।
संदर्भ : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/ एफ-3/ 82/ 2016/ 10-11/ 9/ 2442 दिनांक 22.07.2021 (आपको भी पृष्ठांकित) एवं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/ F.No.6-MPC 044/2021-BHO दिनांक 20.07.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक, मध्य वृत्त, जबलपुर का आदेश क्रमांक/स्था0/296 दिनांक 14.10.2020।

उपरोक्त आपके विषयार्थित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भोपाल के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक A(1), A(3) से निम्नानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं एन.पी.व्ही की राशि कैम्पा फण्ड में समायोजन करने एवं शर्त क्रमांक B(5) से परियोजना में प्रभावित 136 वृक्षों के विदोहन व्यय की राशि एवं समस्त शर्तों का टेबुलर फार्म में पालन प्रतिवेदन तथा वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय से चाहा गया है।

कैम्पा फण्ड में ई-चालान से जमा करने की राशि का विवरण		
1.	मुख्य वन संरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर द्वारा तकनीकी स्वीकृति आदेश क्र./स्था0/296 दिनांक 14.10.2020 क्षतिपूर्क वनीकरण योजना की कुल राशि	73,05,732.00/- (तिहत्तर लाख पाँच हजार सात सौ बत्तीस रुपये)
2.	सिंहुडी जलाशय परियोजना में प्रभावित 7.45 हे० वनभूमि के भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक F.No.5-2/2017-FC दिनांक 28.03.2019 से जारी गाइडलाइन अनुसार Eco-Value class IV हेतु निर्धारित Open Forest हेतु निर्धारित एन.पी.व्ही. की राशि (4,38,000 प्रति हेक्टेयर की दर से)	32,63,100.00/- (बत्तीस लाख तिरेसठ हजार एक सौ रुपये)

मोप्रोट्रेजरी वेब पोर्टल से वन विभाग के मद क्रमांक "0406-01-800-0229 विविध प्राप्तियां" में जमा करने की राशि का विवरण

1	सिंहुडी जलाशय परियोजना में प्रभावित 136 वृक्षों के विदोहन व्यय की राशि का विवरण	4,04,744/- (चार लाख चार हजार सात सौ चवालीस रुपये)
---	---	---

अतः आप भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भोपाल से जारी सैद्धांतिक शर्तों के पालन में उपरोक्तानुसार राशि पृथक-पृथक मदों में ऑनलाइन जमा कर जमा रसीद की छायाप्रति एवं भारत सरकार के द्वारा जारी प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में एवं जिन शर्तों में वचन-पत्र/प्रमाण-पत्र तदनुसार पालन प्रतिवेदन के साथ 04 प्रतियों में संलग्न कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शर्त वार पालन प्रतिवेदन शासन की ओर प्रेषित की जा सकें।
संलग्न :- तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति।

(आर.सी.विश्वकर्मा)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमंडल कटनी

कटनी दिनांक 26/7/2021

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./ 4093
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष-भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी, पश्चिम कटनी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बहोरीबंद की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी व्यय आकिक की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमंडल कटनी